(वाद सं0–2276/4/10/2021)

02.06.2022

परिवादी, सुदेश कुमार, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुदेश कुमार द्वारा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से कम्प्यूटर साइंस में वर्ष–2014 में प्री पी. एच.डी. की परीक्षा पास करने तथा वर्ष–2018 में कोर्स वर्क की परीक्षा पास करने के बाद भी अभी तक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा उनका पंजीकरण नहीं हो पाने से संबंधित है।

उक्त पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई। कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी ने प्री पी.एच.डी. का कोर्स वर्ष–2017 में किया था और वर्ष–2019 में मगध विश्वविद्यालय ने उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया था। प्रतिवेदनानुसार, 18 मार्च,2018 को जब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पटना का गठन हुआ था। उसी समय से लेकर अबतक राज्य सरकार से कम्प्यूटर साइंस, एलएसडब्लू, एमबीए और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मुख्य विषयों के विभाग खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिवेदनानुसार ‘‘पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु प्रथम प्री.पी.एच.डी. टेस्ट का आयोजन अप्रैल 2021 में हुआ जिसमें एलायड विषय के छात्रों को मुख्य विषय में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्वतंत्र विभाग न होने के कारण कम्प्यूटर साइंस जैसे एलायड विषय को गणित/भौतिकी के अंतगर्त रखा। चूंकि श्री सुदेश कुमार ने कम्प्यूटर साइंस से स्नातकोत्तर किया है जिसका स्वतंत्र विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में था, वहीं से पी.एच.डी. करना उनके भविष्य के लिए उचित होता। लेकिन आज की तारीख में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से

अगर ये शोध कार्य करना चाहते हैं, तो इन्हें गणित/भौतिकी के अन्तर्गत ही पी.एच.डी. करना होगा क्योंकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर साइंस का कोई स्वतंत्र विभाग नहीं है। इस आशय का शपथ–पत्र श्री सुदेश कुमार को देना होगा कि 'भविष्य में वे किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे'। सीट की उपलब्धता एवं इनके शपथ–पत्र के आलोक में गणित/भौतिकी विषय में पंजीकरण हेतु आदेश दिया जा सकता है।''

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी का कथन है कि उपकुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के मौखिक निर्देश पर भौतिकी विषय में पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त कागजात प्राप्त किया जा चुका है तथा आश्वासन दिये जाने के 05 (पाँच) माह बीत जाने के बाद भी आज तक पंजीकरण नहीं हो पाया है।

उपकुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना से अनुरोध है कि इस संबंध में निर्णय लेकर परिवादी को सूचित कर दिया जाय जिससे कि उसका शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय होने से बच सके।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा समुचित समाधान किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर स मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए उसकी एक प्रति परिवादी को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>